

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश।

फोन: 0135-2430623 फैक्स-01352436623

E-mail:-artorishikesh.uk@gmail.com

पत्रांक-288 सा0प्रशा0/ऑ0टोले0/2018

दिनांक 28.03.2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्द्रानगर फारेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष सं0-03 में परिवहन विभाग की ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु 1.22 हे0 (पूर्व में प्रस्तावित 2.02 हे0 के बदले) वन भूमि का परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून की पत्र संख्या-2580/12-1 दिनांक 28-03-2018.
(ऑन लाईन पत्रावली संख्या- FP/UK/ROAD/18161/2016)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के डिमांड नोट के अनुसार धनराशि का मांग पत्र ऑनलाईन अपलोड किया गया था जिसे आपके कार्यालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त के क्रम में इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय देहरादून से सम्पर्क स्थापित कर प्रश्नगत प्रकरण में देय धनराशियों का निर्धारण वर्तमान दरों के आधार पर करते हुए संशोधित डिमांड नोट निर्गत करने का अनुरोध किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा संशोधित डिमांड नोट उपलब्ध कराया गया है।

वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये डिमान्ड नोट के आधार पर ही धनराशि स्वीकृत की गई है, जिस कारण बड़ी हुई अन्तरीय धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है। शासन से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा। अतः उक्त डिमांड इस अनुरोध के साथ ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रेषित किया जाता है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में आंशिक भुगतान अनुमोदित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार ऑनलाईन चालान जनरेट कर भुगतान की कार्यवाही की जा सके। (कुल मांग रु. 1913710.00) रु. 1857500.00 की धनराशि जमा की जा रही है। शेष धनराशि भवदीय, का में जमा कर दी जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

(डॉ० अनीता चमोला)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(डॉ० अनीता चमोला)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश।



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 2580 / 12-1 देहरादून,

दिनांक

28 मार्च, 2018

सेवा में,

✓ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बाई पास रोड़ बीबीवाला,
ऋषिकेश, देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष संख्या-03 में परिवहन विभाग की आटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु 1.22 है० (पूर्व में प्रस्तावित 2.02 है० के बदले) वन भूमि का परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या-1445/FP/UK/ROAD/18161/2016 दिनांक-22.11.2016।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/82/2016/एफ0सी/1321 दिनांक-21.11.2016 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में देय धनराशियों की गणना का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) में जमा की जाने वाली धनराशि :-

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	दर	देय धनराशि
1	परियोजना हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि 1.22 है० के सापेक्ष 2.44 है० इठारना सिविल में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों का रखरखाव।	2.44 है०	2,53,332.00	6,18,130.00
2	एन0पी0बी0 का आगणन।	1.22 है०	9,39,000.00	11,45,580.00
(मु०-सत्रह लाख सात हजार पाँच सौ अस्सी)				17,63,710.00

कृपया उक्त धनराशि निर्दिष्ट खातों में भुगतान करने की कृपा करें।

उक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-05 के अनुसार परियोजना क्षेत्र के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु निम्न प्रकार धनराशि की आवश्यकता होगी, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी के निर्वतन पर रखा जाना है। उक्त धनराशि से वन विभाग की देख रेख में वृक्षारोपण किया जाना है।

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	दर	देय धनराशि
1	परियोजना क्षेत्र के आस-पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण एवं उसका रखरखाव।	150 संख्या	1000.00	1,50,000.00
(मु०- एक लाख पचास हजार मात्र) योग-				1,50,000.00

उक्त परियोजना हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि 1.22 है० के सापेक्ष 2.44 है० इठारना सिविल में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु बढ़ी हुई दरों पर आगणित धनराशि-618130.00 तथा एन0पी0बी0 हेतु-1145580.00 तथा वृक्षारोपण क्षेत्र के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं उसका रखरखाव हेतु रू०-150000.00 अर्थात् कुल धनराशि-1913710.00 रुपये मार्च 2018 तक इस कार्यालय में जमा नहीं की जाती है, तो उक्त क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि में अगले वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्वतः ही 10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि हो जायेगी। उपरोक्तानुसार ऑन लाईन चालान जनरेट कर उपरोक्त वर्णित निर्धारित धनराशि का भुगतान करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक:- /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 1056/12, देहरादून.

दिनांक

27

नवम्बर, 2016

सेवा में,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

बाई पास रोड बीबीवाला,

ऋषिकेश, देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष संख्या-03 में परिवहन विभाग की आलोमेटिड टारिफ लेन की स्थापना हेतु 1.22 है० (पूर्व में प्रस्तावित 2.02 है० के बदले) वन भूमि का परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या-1445/FP/UK/ROAD/18161/2016 दिनांक- 22.11.2016।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/०९/८२/२०१६/एफ०सी/१३२१ दिनांक-21.11.2016 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में देय धनराशि की गणना का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) में जमा की जाने वाली धनराशि :-

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	दर	देय धनराशि
1	परियोजना हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि 1.22 है० के सापेक्ष 2.44 है० इटारना सिविल में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों का रखरखाव।	2.44 है०	2,30,302.00	5,62,000.00
2	एन०पी०वी० का आगमन।	1.22 है०	9,39,000.00	11,45,580.00
(मु०-सत्रह लाख सात हजार पाँच सौ अस्सी)				17,07,580.00

कृपया उक्त धनराशि निर्दिष्ट खातों में भुगतान करने की कृपा करें।

उक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-05 के अनुसार परियोजना क्षेत्र के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु निम्न प्रकार धनराशि की आवश्यकता होगी, जिस प्रयोक्ता एजेन्सी के निर्वहन पर रखा जाना है। उक्त धनराशि से वन विभाग की देख रेख में वृक्षारोपण किया जाना है।

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	दर	देय धनराशि
1	परियोजना क्षेत्र के आस-पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण एवं उसका रखरखाव।	150 संख्या	1000.00	1,50,000.00
(मु०- एक लाख पचास हजार मात्र) योग-				1,50,000.00

कृपया उपरोक्तानुसार ऑन लाईन चालान जनरेट कर निर्धारित धनराशि का भुगतान करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रसन्न कुमार पात्रो)

प्रभागीय वनाधिकारी,

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक:-

/12-1 तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रसन्न कुमार पात्रो)

प्रभागीय वनाधिकारी,

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।